The Sunday Statesman KOLKATA 5 FEBRUARY 2012

Mr SK Chattopadhyay, vice-chairman, Income Tax Settlement Commission, Kolkata, addressing a meeting organised by the MCC Chamber of Commerce & Industry (formerly Merchants' Chamber of Commerce) in Kolkata on Saturday. Mr Chattopadhyay said the process of appeal is very long and nobody knows when a dispute would be settled. The Settlement Commission Act has an alternative mechanism which settles a case within a given time frame through arbitration. Mr Deepak Jalan, sr vice-president of the chamber, looks on. **SNS**

पत्रिका
कोलकाता . मंगलवार
07.02.2012

'आयकर सेटलमेन्ट की प्रक्रिया लंबी'

कोलकाता. आयकर सेटलमेन्ट आयोग के उपाध्यक्ष एसके चट्टोपाध्याय ने आयकर संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए आवेदन और सेटलमेन्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी है। सेटलमेन्ट करने के लिए वैकल्पिक मेकनिजम अपनाया है। वे एमसीसी की ओर से आयोजित एक परिचर्चा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग ने अब तक 228 निर्देश जारी किया है। इसका नतीजा है कि 1136 करोड़ का सरकार को लाभ हुआ है। आयकर कानून 1961 के 1976 यू/एस.245बी तहत उक्त आयोग की स्थापना की गई है।

दैनिक जागरण 5 फरवरी, 2012

सही तथ्य पेश करें आयकर दाता : आयोग

कोलकाता, जागरण प्रतिनिधि : आयकर निपटारा आयोग ने लोगों को उसके समक्ष सही-मंशा और मानसिकता लेकर आने की अपील की है। शनिवार मर्चेंट्स चेम्बर आफ कामर्स की तरफ से आयोजित परिचर्चा सत्र में बोलते हुए आयोग के चेयरमैन एसके चट्टोपाध्याय ने कहा कि आयोग का दायरा बढ़ रहा है। लोगों को आयकर संबंधी सही तथ्य पेश करने होंगे। आयकर विवाद की स्थिति में आयोग निपटारे का स्थायी केन्द्र है लेकिन आय के स्वैच्छिक खुलासे के समय एसेट्स बैकिंग आवश्यक है। खुलासे बोगस न हों। आयोग आयकर दाता के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है लेकिन उसे जानबूझ कर गलत तथ्य नहीं देना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने आयकर विभाग की छापेमारी और जब्ती पर लोगों के कई सवालों के जवाब दिए। उल्लेखनीय है कि आयोग के समक्ष विवाद निपटारे के लिए आवेदनों की संख्या साल-दर- साल बढ़ रही है।

प्रभात वार्ता
कोलकाता • रविवार • 5 फरवरी 2012

खबरें कोलकाता की

आयकर रिटर्न में सही जानकारी दें

कोलकाता : हर समय अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपनी संपत्ति के हिसाब से आय का सही विवरण देना चाहिए. इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन आयकर से जुड़े विवादित मामलों को निबटाने का माध्यम है. यदि सेटलमेंट कमीशन के सामने कोई मामला सुलझाने के लिए अपील करें, तो उसमें अपनी संपत्ति की सही जानकारी दें. कुछ न छिपायें. सेटलमेंट कमीशन दिये गये तथ्यों की पूरी जांच करता है. अगर ये गलत पाये गये या संपत्ति आदि छिपाने की बात सामने आती है, तो भारी जुर्माना के साथ-साथ मुकदमा भी दर्ज किया जाता है. ये बातें शनिवार को मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में आयोजित सेटलमेंट कमीशन की भूमिका विषय पर आयोजित परिचर्चा में इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, कोलकाता के उपाध्यक्ष एसके चट्टोपाध्याय ने कहीं. उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में जाने से पहले यदि कमीशन के पास कोई अपील करता है, तो सेटलमेंट कमीशन मामलों की जांच कर निबटाने का प्रयास करता है. मामला कोर्ट में जाने के बाद कमीशन कुछ नहीं कर सकता. मौके पर एमसीसीआइ के उपाध्यक्ष दीपक जालान, कर सलाहकार व सुप्रीम कोर्ट के वकील एनके पोद्दार, वरिष्ठ कर सलाहकार एसएस गुप्ता, चेंबर के डाइरेक्ट टैक्स स्टैडिंग कमेटी के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल आदि मौजूद थे.

ভোরের বার্তা Sunday, 5 February, 2012

ব্যবসায়ীদের আয়কর আইনের সরলীকরণের সুযোগ নেওয়ার আবেদন জানাল বণিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল আন্ডার সেকশন ২৪৫ বি আয়কর বিধি অনুযায়ী একটি সেটলমেন্ট কমিশন গঠিত হয়েছিল। আয়করদাতা কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারী প্রতিষ্ঠান তাদের সঠিক আয় সরকারকে যদি না জানিয়ে থাকে, তাহলে এই কমিশন সেই অঘোষিত গোপন আয়ের উৎস সম্পর্কে তদন্ত করে বিধি ভঙ্গের খোঁজ পায়, সেক্ষেত্রে সেই ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তাঁরা। এপ্রসঙ্গে শনিবার 'মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স'-এ বণিকসভার পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানেই এই বিধি সতর্কীকরণের কথা শুনিয়েছেন আয়কর দপ্তরের কর্তারা। এদিনের সম্মেলনে এম সি সি-র তরফে উপস্থিত ছিলেন ট্যাক্স সেটেলমেন্ট কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান এস কে চট্টোপাধ্যায়, ভাইস-প্রেসিডেন্ট দীপক জালান আয়কর বিভাগের কো-চেয়ারম্যান সঞ্জয় ভট্টাচার্য, এন কে পোদ্দার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এদিনের সভায় আয়কর জমা দেওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। যদি কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের অঘোষিত আয় পূর্বে ঘোষণা না করে থাকে এবং সেক্ষেত্রে যদি আয়কর দপ্তরের তদন্তে ধরা পড়ে, সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান সেটলমেন্ট কমিশনের কাছে আবেদন করতে পারে। আবেদনপত্রে পূর্বে অঘোষিত আয় ঘোষণা করে নিজ দায়িত্বে আয়কর ও তার সুদ মিটিয়ে দিতে পারবে। সার্চ হওয়া কেসের ক্ষেত্রে আবেদন করতে হলে ওই ব্যাক্তির বর্তমান কর যেন ৫০লক্ষ টাকার ওপরে হয়। অনান্য কেসের ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা হতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর সেটলমেন্ট কমিশন অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং আয়কর দফতরকে একসাথে শুনানি দেবে। সেটেলমেন্ট কমিশন তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি ট্রু এবং ফুল ডিসক্লোজার অব ইনকাম করেছে কিনা। তারপর ট্যাক্স ও সুদ দিয়েছে কিনা। পুরো বিষয়টি সেটলমেন্ট কমিশন জানবে। সেটা মেনে নিয়ে কমিশন একটা অর্ডার দেবে এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। এমনই সিদ্ধান্ত নেবে যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোনও পেনাল্টি ও প্রসিকিউশান না হয়।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে কমিশন এর কাছে আবেদন করা যায় সেকশন - ২৪৫সি ধারায়। এরপর কমিশন অর্ডার দেবে আন্ডার সেকশন ২৪৫ডি ধারাতে। সেটলমেন্ট কমিশন অর্ডার দেবার পর ওই নির্দিষ্ট বছরগুলিতে কমিশন অর্ডারটা কার্যকরী করবে। উল্লেখ্য, এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একাধিকবার সেটলমেন্ট কমিশনে আবেদন করতে পারবে না। যেবছর সার্চ হয়েছে তার পূর্ববর্তী ৬ বছর পর্যন্ত আয়কর দপ্তর নতুন করে কেস করতে পারে।

অপরদিকে আবেদনের ভিত্তিতে অর্ডার অনুযায়ী নির্দিষ্ট বছরগুলির ট্যাক্সের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে। ভবিষ্যতে ওই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট বছরগুলির জন্য ট্যাক্স নিয়ে কোনও ঝামেলায় পড়তে হবে না। বর্তমানে এরকম সেটলমেন্ট কমিশন বসেছে ভারতের ৪টি প্রধান শহরে। দিল্লিতে ২টি, মুম্বই, কলকাতা ও চেন্নাইয়ে ১টি করে। গুয়াহাটিতেও এরকমই একটি সেটলমেন্ট কমিশন খোলার জন্য এম সি সি-কে আবেদন জানানো হয়েছে বণিকদের তরফ থেকে।

শনিবার এমসিসি-র সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত এস কে চট্টোপাধ্যায়, এন কে পোদ্দার ও দীপক জালান। *ছবি : সঞ্জয় পোদ্দার*

খবর ৩৬৫ দিন। রবিবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২

রাজস্ব আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে আয়কর নিষ্পত্তি কমিশনের কলকাতা শাখা মোট ২২৮ টি ক্ষেত্রে কর বিভ্রাটের নিষ্পত্তি করেছে। এই নিষ্পত্তি করে সরকারের ঘরে রাজস্ব বাবদ ঢুকেছে প্রায় ১,১৩৬ কোটি টাকা। শনিবার কলকাতায় বণিকসভা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের এক সভায় একথা জানান আয়কর নিষ্পত্তি কমিশনের কলকাতা শাখার ভাইস চেয়ারম্যান এস কে চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, করের ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলে তার নিষ্পত্তি হতে বেশ খানিকটাই সময় লাগে এ কথা ঠিকই। এর জন্য খুব শীঘ্রই এক নতুন প্রক্রিয়া চালু করা হচ্ছে। যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

प्रभात खबर

रविवार | 5 फरवरी, 2012

'आयकरदाता दें पूरी जानकारी'

कोलकाता, कार्यालय संवाददाता

मर्चेंट चेम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित परस्पर संवादात्मक सत्र में आयकरदाताओं को आय सम्बंधी पूरी जानकारी दी जाने की हिदायत दी गई। आयकरदाताओं को सुझाव देते हुए इनकम टैक्स सेटेलमेंट कमिशन कोलकाता के उपाध्यक्ष ने अपनी राय रखी।

उन्होंने कहा कि कमीशन वैकल्पिक विवाद तंत्र जो आयकरदाताओं के सभी विवादों को स्थायी तौर पर समाधान करता है। कमीशन के उपाध्यक्ष ने परिचर्चा में उपस्थित उद्योगपतियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आवेदनकारियों के प्रति सहानुभूति के साथ उनकी समस्या को सुनकर उसपर सोच-विचार करना कमीशन का काम है।

उन्होंने बताया कि बिना टैक्स रिर्टन भरे आवेदनकारी अपने आय का प्रकटीकरण कर सकता है। कमीशन द्वारा पास किए गए 228 निर्देशों से 1136 करोड़ रूपया आया जिससे यह समझ में आता है कि कमीशन अपने काम को बखूबी निभा रहा है।

परस्पर संवादात्मक सत्र में वक्तव्य रखते हुए इनकम टैक्स सेटेलमेंट कमीशन कोलकाता के उपाध्यक्ष एस के चट्टोपाध्याय व मर्चेंट चेम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दीपक जालान।

परस्पर संवादात्मक सत्र में भाग लेते हुए विशिष्ट टैक्स सलाहकार एन के पोद्दार ने कहा कि सेटेलमेंट कमीशन में जाने से आवेदनकारी को जुर्माना व अभियोजन से छूट मिलने की संभावना रहती है।

उन्होंने कॉरपोरेट जगत को ऐसे किसी भी मामले पर कमीशन में जाने का सुझाव दिया। विशिष्ट टैक्स सलाहकार के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा फर्जी मामलों पर छापा मारने से पहले आवेदनकारियों को आधिकारिक तौर पर अपने आय की पूरी जानकारी कमीशन को देनी चाहिए।

सन्मार्ग

कोलकाता, रविवार
5 फरवरी 2012

इनकम टैक्स सेटलमेंट पर परिचर्चा

कोलकाता : शनिवार को मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से इनकम टैक्स सेटलमेंट पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के चेयरमैन एस. के. चट्टोपाध्याय मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने इनकम टैक्स सेटलमेंट पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां और सुझाव दिये और कहा कि कमीशन के समक्ष सभी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। लोगों को सकारात्मक रवैया अपनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एन के पोद्दार ने तथा वरिष्ठ कर सलाहकार एस एस गुप्ता ने इनकम टैक्स सेटलमेंट के क्रियाकलापों और प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस परिचर्चा में स्वागत भाषण चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक जालान ने दिया। प्रत्यक्ष कर पर चेम्बर की स्थायी कमेटी के अध्यक्ष अरविन्द अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रभात वार्ता

कोलकाता • रविवार • 5 फरवरी 2012

'आयकरदाता दें पूरी जानकारी'

कोलकाता, कार्यालय संवाददाता

मर्चेंट चेम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित परस्पर संवादात्मक सत्र में आयकरदाताओं को आय सम्बंधी पूरी जानकारी देने की हिदायत देते हुए इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, कोलकाता के उपाध्यक्ष ने अपनी राय रखी।

उन्होंने कहा कि कमीशन, एक वैकल्पिक विवाद तंत्र है, जो आयकरदाताओं के सभी विवादों का स्थायी तौर पर समाधान करता है।

शनिवार को आयोजित इस परिचर्चा में उपस्थित उद्योगपतियों को सम्बोधित करते हुए कमीशन के उपाध्यक्ष ने कहा कि आवेदनकारियों के प्रति सहानुभूति के साथ उनकी समस्या को सुनकर, उसपर सोच-विचार करना कमीशन का काम है। उन्होंने बताया कि बिना टैक्स रिटर्न भरे, आवेदनकारी अपनी आय का ब्योरा दे सकता है।

कमीशन द्वारा पास किए गए 228 निर्देशों से 1136 करोड़ रुपया आया, जिससे यह समझ में आता है कि कमीशन अपने काम को बखूबी निभा रहा है।

परिचर्चा में भाग लेते हुए, विशिष्ट टैक्स सलाहकार, एन के पोद्दार ने कहा कि सेटलमेंट कमीशन में जाने से आवेदनकारी को जुर्माना व अभियोजन से छूट मिलने की संभावना रहती है। उन्होंने कॉरपोरेट जगत को ऐसे किसी भी मामले पर कमीशन में जाने का सुझाव दिया।

विशिष्ट टैक्स सलाहकार के अनुसार, इससे पहले कि राजस्व विभाग द्वारा फर्जी मामलों पर छापा मारने की स्थिति पैदा हो, आवेदनकारियों को आधिकारिक तौर पर अपने आय की पूरी जानकारी कमीशन को देनी चाहिए। इससे उन्हें राहत मिलने में सुविधा होगी।

परिचर्चा में वक्तव्य रखते हुए इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन कोलकाता के उपाध्यक्ष एस के चट्टोपाध्याय व मर्चेंट चेम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दीपक जालान। • प्रभात वार्ता